# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– इम्तियाज खान .............बगैरह।

बनाम

वाद सं0 54 / 2021

द्वितीय पक्ष– शेख रूहेल ........................ बगैरह।

| आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि | दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी |
| --- | --- | --- |
| 1<br>4/2/22 | उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्रथमिकी सं0 17 / 2021 दिनांक 30 / 06 / 2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) इम्तियान खान उम्र 38 वर्ष पिता अमानुल्लाह खान ग्राम किन्दिरकेला थाना बसिया जिला गुमला **बनाम** द्वितीय पक्ष (1) शेख रूहेल उम्र 26 वर्ष पिता शेख इजहार (2) शेख ईफतर उर्फ शेख इजहार उम्र 60 वर्ष पिता स्व0 शेख छेदन ग्राम किन्दिरकेला थाना बसिया जिला गुमला के बीच भूमि बंटवारा, आपसी विवाद एवं तनाव होने के कारण अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।<br><br>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :–<br><br>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।<br><br>अतः उभय पक्षों के पक्षो उक्त वाद की कार्रवाई के बीच किसी प्राकर की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद पर कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।<br><br>लेखापित ।<br><br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी<br>बसिया(गुमला)।<br><br>[Stamp: अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)]<br><br>Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM<br>Date: 2024.09.05 16:39:52 +05:30<br>Location: 192.168.1.2 | |